

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: प.7(53)परि/नियम/मु./2024/07915/

दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 के बिन्दु संख्या 161 में परिवहन वाहनों की Fitness के समय कर-चुकता प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate TCC) की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने की घोषणा की गई है।

उक्त के क्रम में समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जनलेखा समिति प्रतिवेदन, सीएजी प्रतिवेदन, महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी तथ्यात्मक विवरण, ड्राफ्ट पैरा, एजी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आंतरिक जांच प्रतिवेदन इत्यादि में आक्षेपित ऐसे समस्त वाहनों को प्रतिवेदन/सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् अविलम्ब विभागीय सॉफ्टवेयर 4.0 पोर्टल पर अपडेट करें एवं Not to be transacted अंकित करें। जो प्रतिवेदन पूर्व में जारी हो चुके हैं उनसे संबंधित/आक्षेपित वाहनों के लिए एक माह की अवधि का अभियान चलाकर विभागीय सॉफ्टवेयर 4.0 पोर्टल पर अपडेट करें एवं Not to be transacted अंकित करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य में विलम्ब या लापरवाही पाये जाने पर संबंधित कार्मिक का व्यक्तिगत उत्तरदायी निर्धारण कर कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा )  
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

RajKaj Ref  
9607873



Signature valid

Digitally signed by Manisha Arora  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.08.06 19:59:11 IST  
Reason: Approved

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
4. समस्त अति. परिवहन आयुक्त, कार्यालय हाजा।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी वेबसाइट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग का उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

RajKaj Ref  
9611226



**Signature valid**

Digitally signed by Mahendra Singh  
Bhukar

Designation : Financial Advisor

Date: 2024.08.06 11:21:18 IST

Reason: Approved